रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 114] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 26, 1970/चैत्र 5, 1892
No. 114] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 1970/CHAITRA 5, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Internal Trade)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th March 1970

S.O. 1192.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the East India Jute and Hessian Exchange Limited, 43, Netaji Subhas Road, Calcutta, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year ending with the 28th March, 1971, in respect of forward contracts in *jute goods* (hessian and sacking cloth or bags or both, twines or yarns or both manufactured by any of the mills or any other manufactures of whatever nature made from jute) in the City of Calcutta.

Explanation—In this notification, the expression "City of Calcutta" means—

(1) Calcutta as defined in clause (ii) of section 5 of the Calcutta Municipal Act, 1951, (West Bengal Act No. 33 of 1951), together with part of Hastings North or South edge of Clyde Row and Strand Road to the river bank and the areas which were previously under the now defunct Tollygunge Municipality;

(2) The Port of Calcutta; and

(3) The District of 24 parganas, Nadia, Howrah and Hooghly.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[No. F. 12(2)-IT/70.]

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी मंत्रालय

(आन्तरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1970

का० आ० 1192—केन्द्रीय सरकार, वायदा बाजार आयोग से, परामर्श करके ईस्ट इंडिया जूट एण्ड हेशन एक्सचेंज लिमिटेड, 43, नेताजी सुभाष रोड़, कलकत्ता, द्वारा अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 की 74) की धारा 5 के अधीन किए गए, मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार कर लेने पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोक हित में भी होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को कलकत्ता नगर में जूट माल (किसी भी प्रकार की किसी मिल या किसी अन्य विनिर्माता द्वारा जूट से बनाए गए हेशन और बोरियां बनाने के कपड़े या बोरे या दोनों, टुआइन या सूत या दोनों) में अग्रिम संविदाओं की बाबत, 28 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की और कालावधि के लिए एतद्-द्वारा मान्यता प्रदान करती है ।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना में, "कलकत्ता नगर" पद से अभिप्रेत है—

1. कलकत्ता नगर पालिका अधिनियम, 1951 (1951 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्या 33) की धारा 5 के खण्ड (II) में यथा परिभाषित कलकत्ता तथा उसके साथ हैस्टिंगस नार्थ या क्लाइव रो का साउथ सिरा और नदी तट तक स्ट्रैंड रोड और वे क्षेत्र जो एतद् पूर्व अब समाप्त टालीगंज नागर-पालिका के अन्तर्गत थे ।
2. कलकत्ता पत्तन , और
3. 24 परगना, नादिया, हावड़ा, और हुगली जिले ।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग, द्वारा समय समय पर दिए जाएं ।

[सं० फा० 12(2)-आई० टी०/70]

S.O. 1193.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, (74 of 1952), by the East India Jute and Hessian Exchange Limited, 43, Netaji Subhas Road, Calcutta, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year ending with the 28th March, 1971, in respect of forward contracts in raw jute (including mesta) in the States of West Bengal, Bihar, Assam and Orissa and the Union territory of Tripura.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[No. F. 12(2)-IT/70.]

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

का० आ० 1193—केन्द्रीय सरकार, वायदा बाजार आयोग से परामर्श करके, ईस्ट इंडिया जूट एण्ड हैशन एक्सचेंज, लिमिटेड, 43, नेताजी सुभाष रोड़ कलकत्ता, द्वारा अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन किए गए, मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार कर लेने पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोक हित में भी होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज, को पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा, राज्यों और त्रिपुरा संघ-राज्य क्षेत्र में नए जूट (जिस में मेस्टा सम्मिलित है) में अग्रिम संविदाओं की बाबत 28 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की और कालावधि के लिए एतद्द्वारा मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं ।

[सं० फा० 12(2)—आई० टी०/70]

आर० के० तलवार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970